न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 05/22 (अपील)

GCMS No. : 2022/282

अनवान्

1. श्रीमती नारायणी उर्फ नाराणी पुत्री पेमा पत्नी भोलीराम भील निवासी रठाणा तहसील मावली अधिकारग्रहिता श्री मगनीराम पिता भोलीराम भील निवासी रामपुरिया पलानाखुर्द तहसील मावली।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री हजारी पिता पेमा भील निवासी रठाना तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. नूरडा, बाबत ना. सं. 1250 दि. 04.03.2022

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 11.02.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत नूरडा बाबत् नामान्तरण संख्या 1250 दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम रठाना पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली के आराजी नम्बर 1889/1105, 875 किता 2 कुल रकबा 1.2950 हेक्टेयर स्थित है, जिसमें मुझ अपीलार्थीया के पिता पेमा पिता खेमा जी भील का सम्पूर्ण हिस्सार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज था, इसी तरह आराजी नम्बर 537, 538, 539, 540, 703, 704, 706, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 किता 24 कुल रकबा 2.6955 हेक्टेयर है, उक्त वर्णित भूमि में मुझ अपीलार्थीया के पिता पेमा पिता खेमा जी भील का 1/5 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज था, इसी तरह आराजी नम्बर 702 [illegible] में मेरे पिता पेमा पिता खेमा का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि मुझ अपीलार्थीया के पिता के उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित सजरा खानदान इस प्रकार है :—

पेमा

↓

नारायणी उर्फ नाराणी — झमकु

3. यह कि मुझ अपीलार्थीया के पिता पेमा पिता खेमा भील की मृत्यु दिनांक 01.05.2000 को हो गई है, जिसका विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा दिनांक 04.03.2022 को क्र. स. 1250 पर दर्ज किया गया जिसमें ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पेमा की जायन्दा संतान बताते हुए फर्जी सजरा प्रमाण पत्र जारी किया गया और हम दोनो बहनो के साथ साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पेमा की जायन्दा संतान बताते हुए विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के साथ साथ हमारे 1/2 हिस्से को 1/3–1/3 हिस्सा विभक्त कर दिया, जबकि पेमा जी की सिर्फ दो जायन्दा सन्तान है, इसके अलावा कोई जायन्दा पुत्र नहीं था परन्तु उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त सरपंच द्वारा बनाये गये गलत सजरे प्रमाण पत्र को आधार बताते हुए मुझ अपीलार्थीया के बयान नहीं लेते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पेमा की जायन्दा सन्तान मानते हुए विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर पेमा की सम्पति में 1/3 हिस्से पर हजारी पिता पेमा का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज कर दिया जो कि अवैधानिक है तथा फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई जिस कारण उक्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य हैं।

4. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई द्वारा मेरे पिता जी को बहला फुसला कर दिनांक 01.01.1998 को एक फर्जी गोदनामा निष्पादित करवाया था जिसमें मेरे पिता जी के भाई घीसा के पुत्र हामा पिता घीसा भील द्वारा अपने भाई हजारी को मेरे पिता पेमा पिता खेमा जी भील द्वारा गोद लिये जाने के सम्बन्धित एक दस्तावेज निष्पादित करवाया था जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को घीसा की पुत्र होने का तथ्य अंकित करवाया था तथा उक्त गोदनामें पर न तो हजारी की माता और न ही पेा जी की पत्नी की कोई सहमति ली गई, केवल मात्र पेमा जी के द्वारा उक्त गोदनामें को हामा के द्वारा धोखाधडी से निष्पादित करवाया गया था जो पूर्णतया फर्जी था, जिस[illegible] ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा जो सजरा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पेमा जी की जायन्दा सन्तान बताया है जो इस दस्तावेज के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

पर गलत साबित रहता है क्योंकि हजारी घीसा का पुत्र था एवं पेमा के गोद गया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विधिवत पर नामान्तरकरण खुलवा कर अपना हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहिए था परन्तु उसने विरासत के आधार पर अपने आप को पेमा की जायन्दा संतान बताते हुए विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाया जो कि पूर्ण रूप से अवैध हैं।

5. यह कि ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर गोदनामें से सम्बन्धित सभी दस्तावेजो को छिपा कर जो सजरा प्रमाणित किया है वो पेमा की जायन्दा संतान होने से सम्बन्धित पेश किया है जबकि उक्त दस्तावेजो में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 घीसा का जायन्दा संतान जाहिर होता है जिस कारण विरासत के नामान्तरकरण में इस गोदीपुत्र का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए विविध कार्यवाही की जानी आवश्यक है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मन में बदनियति आ जाने की वजह से ग्राम पंचायत के अधिकारियों से मिल कर फर्जी कुटरचित दस्तोवज तैयार कर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाया है जो पूर्णतयाः अवैध होकर खारिज होने योग्य हैं।

6. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व ग्राम पंचायत नूरडा व पटवारी पटवार हल्का नूरडा ने मिलकर उक्त विरासत का नामान्तरकरण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो दर्ज किया गया है उसके विरूद्व मैं अपीलार्थीया पुलिस थाने मे फौजदारी कार्यवाही कर रही हूं।

7. यह कि दिनांक 01.06.2022 को जब मैने ऑनलाईन जमीन का रिकार्ड चेक किया तो मुझे जानकारी हुई कि पूर्व में मैने अपने 1/2 हिस्से की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय की थी परन्तु वो नामान्तरकरण खारिज कर दिया तथा मेरे से धोखाधडी से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जो फर्जी हक त्याग निष्पादित किया गया था उसमें मेरा 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पेमा की जायन्दा संतान बताया गया। जिस पर मैने अन्य दस्तावेज निकलवा कर कानूनी सलाह से अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1250 दिनांक 04.03.2022 को गलत विरासत के आधार पर दर्ज किया है उसे निरस्त किये जाने की कृपा फरमाई जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

9. धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1250 दिनांक 04.03.2022 को विरासत से दर्ज हुआ जिसकी जानकारी मेरे द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के नामान्तरकरण संख्या 1262 दिनांक 20.05.2022 के खारिज होने के बाद से मुझ प्रार्थीया को जानकारी हुई जिस पर मैने राजस्व कर्मचारियों से नकले प्राप्त की एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं अविलम्ब अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें हुई देरी को क्षमा करने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हुई देरी को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र को निस्तारित की जावें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1250 की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से थी तथा उक्त नामान्तरण से दर्ज हुई भूमि में अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहिन झमकुबाई द्वारा दिनांक 24.03.2022 को अपने हिस्से का हकत्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर हकत्याग पत्र की रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय मावली में करवा दी तथा अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपना भाई मानते हुए ही दिनांक 24.03.2022 को अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर हकत्याग पत्र की रजिस्ट्री करवा दी। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि नामान्तरकरण संख्या 1250 की जानकारी दिनांक 20.05.2022 को हुई हो, बल्कि अपीलान्ट को कथित नामान्तरकरण की जानकारी शुरू से थी व रेस्पोडेन्ट के साथ धोखाधडी करने की नियत से अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपना हक व हिस्सा जरिये हकत्याग पत्र से हकत्याग कर हकत्याग पत्र की रजिस्ट्री करा दी उसके एक माह बाद अपीलान्ट ने दिनांक 25.04.2022 को पंजीकृत अधिकार पत्र अपीलान्ट ने अपने पुत्र मगनीराम के पक्ष में लिख अधिकार पत्र की रजिस्ट्री करवा दी तथा अधिकार ग्रहिता मगनीराम ने दिनांक 29.04.2022 को अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से का किये गये हकत्याग पत्र में वर्णित आराजीयात का नुमाईशी विक्रय पत्र चुनीलाल पिता लखमा भील के पक्ष में लिख रजिस्ट्री करवा दी जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 25.04.2022 से पूर्व ही अपने हिस्से का हकत्याग पत्र रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित कर रेस्पोडेन्ट को कब्जा सिपूर्द कर दिया उसके बाद जरिये मुख्तारनामा दिनांक 29.04.2022 को उक्त आराजीयात विक्रय करने का कोई मालूकी हक व अधिकार अपीलान्ट को नही था इस तरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirol
Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का यह कहना कि नामान्तरण संख्या 1250 की जानकारी दिनांक 20.05.2022 को हुई हो गलत है, इसलिए अपीलान्ट का कथित प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं।

11. यह कि अपीलान्ट ने कथित नामान्तरकरण की जानकारी होने का कोई वाजिब कारण नहीं बताया है केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान व जलील करने की नियत से तथा रेस्पोडेन्ट के साथ धोखाधडी करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र में वर्णित भूमि को पुनः नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरण संख्या 1262 दिनांक 20.05.2022 को सही निरस्त किया गया हैं। अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट का कथित प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

12. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को नियत की गई परन्तु नारायणी उर्फ नाराणी पुत्री पेमा पत्नी भोलीराम भील द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का दिनांक 30.01.2025 को प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये।

13. प्रकरण में अपीलान्ट नारायणी उर्फ नाराणी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का पेश किया जिसमें निवेदन इस प्रकार किया कि नामान्तरकरण संख्या 1250 ग्राम पंचायत नूरडा दिनांक 04.03.2022 के विरूद्व मेरे अधिकारग्रहिता श्री मगनीराम पिता भोलीराम भील निवासी रामपुरिया, पलानाखुर्द तहसील मावली द्वारा रेस्पोडेन्ट मेरे भाई हजारी एवं राजस्थान राज्य के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जो कि वास्ते आदेश दिनांक 11.02.2025 को नियत हैं। उक्त अपील में वर्णित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1250 के विरूद्व अपील करने हेतु मुझ अपीलान्ट ने अधिकार ग्रहिता मगनीराम को कोई अधिकार नहीं दिया गया है न ही इस नामान्तरकरण की अपील करने में मेरी सहमति रही है, न ही मुझ अपीलान्ट ने मेरे भाई के विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु अधिकार ग्रहिता मगनीराम को अधिकृत किया था।

14. यह कि मुझ अपीलान्ट की जानकारी में लाये बिना एवं मेरी सहमति के बिना अधिकार ग्रहिता मगनीराम ने नामान्तरकरण संख्या 1250 के विरूद्व जो अपील की है वह गलत है क्योंकि [illegible] द्वारा [illegible] नामान्तरकरण बाबत कोई आपत्ति या एतराज आज दिवस तक नहीं किया है मेरे पिता पेमाजी की मृत्यु उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

जो विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1250 मुझ अपीलान्ट व मेरे भाई रेस्पोडेन्ट हजारी तथा मेरी बहिन झमकु के नाम खुलकर स्वीकृत हुआ है वह सही है तथा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद मुझ अपीलान्ट व मेरी बहिन झमकु द्वारा राजीखुशी से हमारे भाई रेस्पोडेन्ट हजारी के पक्ष में हमारे हक हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 24.03.2022 को निष्पादित किया गया है जो सही है व उक्त हक त्याग में सेहवन से मौजा रठाना, पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली का अंकन होना रह गया था जिस भुल को सुधार करते हुए मेरी बहिन झमकु द्वारा उप पंजीयक मावली के यहां उपस्थित होकर दिनांक 01.06.2022 को शुद्धि पत्र निष्पादित किया था जिसमें मुझ अपीलान्ट की भी सहमति थी लेकिन मै अपीलान्ट उस दौरान बीमार रहने से शुद्धि पत्र के पंजीयन के वक्त उपस्थित नहीं हो सकी थी लेकिन इसमें मेरी पूर्ण सहमति थी। हक त्याग पत्र दिनांक 24.03.2022 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 01.06.2022 के आधार पर जो नामान्तरकरण की कार्यवाही हमारे भाई हजारी के पक्ष में हुई है वह पूर्णतया सही होकर प्रभावशाली है तथा उक्त हक त्याग पत्र मय शुद्धि पत्र में वर्णित आराजीयात पर आज दिन तक कब्जा भी हमारे भाई हजारी का ही चला आ रहा हैं।

15. यह कि मेरे अधिकारग्रहिता द्वारा की गई अपील की जानकारी दिनांक 28.01.2025 को मुझे मेरे भाई एवं जाति समाज के मौतबीरों, रिश्तेदारो द्वारा दी गई और उक्त जानकारी होते ही आज मै अपीलान्ट आप न्यायालय में अपने पति भोलीराम एवं मेरे गांव रामपुरिया पलानाखुर्द के रहने वाले जाति समाज के मौतबीर इन्द्रा पिता चेना भील, भेरा पिता देवा भील, लोगर पिता लालु भील, रोडा पिता कालु भील, सुन्दर पिता परथा भील तथा मेरे पीहर गांव रठाना के रहने वाले जाति समाज के मौतबीर खुमाण पिता भेरा भील, प्यारा पिता रामा भील, अम्बालाल पिता उंकार भील, रूपलाल पिता लालु भील, बाबु पिता गोकल भील के साथ उपस्थित होकर उक्त अपील को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र मेरी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर अस्वीकार कर निरस्त फरमाई जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 1250 को यथावत रखा जावें।

16. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट् द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील [illegible] वाद पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित [illegible] की गई है। अतः त्रुटि कारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण खारिज किया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी में जवाब प्रार्थनापत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील अन्दर मयाद नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट को वारिस माना गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

17. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। नामान्तरकरण सं. 1250 दिनांक 07.03.2022 को ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट् को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट् का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1250 दिनांक 07.03.2022 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। विरासत के नामान्तरकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पेमा पिता खेमा के बजाय झमकु पुत्री पेमा, नारायणी पुत्री पेमा व हजारी पुत्र पेमा के नाम दर्ज किये गये। उक्त अपील स्वयं श्रीमती नारायणी उर्फ नाराणी पुत्री पेमा पत्नी भोलीराम द्वारा प्रस्तुत नहीं कर इसके अधिकार ग्रहिता श्री मगनीराम पिता भोलीराम भील द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। अपील में मुख्य रूप से कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हजारी पिता पेमा, पेमा पिता खेमा का वारिस नहीं होते हुए भी फर्जी गोदनामें के आधार पर वारिस मानकर विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा केवल इसी आधार पर नामान्तरकरण खारिज करवाना चाह रहा हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विरासत के नामान्तरकरण में पेमा पिता खेमा के तीन वारिस माने गये हैं। जिसमें झमकु पुत्री पेमा, नाराय[illegible] पुत्र पेमा हैं। प्रकरण में विवाद केवल मात्र हजारी पिता पेमा [illegible] ही हैं [illegible] उपलब्ध गोदनामें की फोटोप्रति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Lal Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन करने से जाहिर होता है कि गोदनामा रजिस्टर्ड हैं। जिस पर पेमा के हस्ताक्षर हैं। उक्त गोदनामा यदि फर्जी तरीके से करवाया गया है तो इसके लिए अपीलान्ट को सर्वप्रथम सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर गोदनामें के निरस्तीकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त अपील स्वयं नायणी उर्फ नाराणी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर अधिकारग्रहिता री मगनीराम पिता भोलीराम द्वारा प्रस्तुत की गई है, जबकि स्वयं नायणी उर्फ नाराणी पुत्री पेमा द्वारा दिनांक 30.01.2025 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश किया। नायणी उर्फ नाराणी पुत्री पेमा का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वयं नायणी उर्फ नाराणी पुत्री पेमा प्रार्थना पत्र में स्वीकार कर रही है कि उक्त अपील मगनी राम द्वारा मेरी जानकारी में लाये बिना एवं मेरी सहमति के बिना प्रस्तुत की गई है तथा नामांतरण संख्या 1250 मुझ अपीलान्ट मेरे भाई रेस्पोडेन्ट हजारी तथा मेरी बहन झमकु के नाम खुलकर स्वीकृत हुआ है जो सही है। इस प्रकार स्वयं पेमा की पुत्री ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपना भाई मानती है तथा उक्त नामांतरण को भी सही पारित होना मानती है। तो ऐसी स्थिति में अधिकारग्रहिता के कथनों पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामे को निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक अवैध नहीं माना जा सकता तथा पेमा पुत्र खेमा के वारिसानों द्वारा उक्त नामांतरण को सही माने जाने से उक्त अपील सारहीन होकर खारिज योग्य पायी जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested